न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी- 3281/2018/नीमच/भू.रा

प्र.क्रं. :

1– गुलाबसिंह पिता कुशालसिंह राजपुत

2– उषाकुंवर पति गुलाबसिंह राजपुत

दोनों निवासी पिपल्याहाड़ी तह. मनासा जिला नीमचम.प्र.

— निगरानीकर्ता

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा नायब तहसीलदार मनासा (म.प्र.)

— विपक्षी

।। निगरानी : अर्ज अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. ।।

।। अधिनस्थ न्यायालय माननीय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के यहां प्रचलित अपील प्र.क्रं. 486/अपील/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक 31/03/2018 के विरुद्ध ।।

माननीय महोदय,

सेवा मे निगरानीकर्ता की ओर से सदर निगरानी अर्ज पेश कर निवेदन है कि :–

प्रकरण के मुख्य तथ्य संक्षिप्त मे :–

यह कि, निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 116, 121 नियम 6, 7 व 8 के तहत प्रस्तुत कर मौजा हाड़ीपिपल्या तह. मनासा, जिला–नीमच स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 413 रकबा 2.984 हे. पर विगत 15 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा चला आ रहा होने से उक्त भूमि पर कॉलम नंबर 12 मे निगरानीकर्ता का कब्जा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3281/2018/नीमच/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08/08/2018	आवेदक अधिवक्ता श्री एल.एस धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पटवारी प्रतिवेदन खसरा के कॉलम नं. 12 में कब्जाधारी के रूप में नाम दर्ज करने का आदेश दिया जबकि उनके द्वारा प्रकरण के पक्षकार भूमि स्वामी को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने विधिक निष्कर्ष अंकित कर एवं उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई है, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में की है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत होकर स्थिर रखे जाने योग्य है, जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	